

तारीख हुकम

9/3/18

वकील अर्चना पत्र द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड सारिता का अवलोकन किया गया। अर्चना पत्र दर्ज रिकॉर्ड किया जाये।

वकील अर्चना को एक तरफा बना गया बाद सुनवाई के अग्रवर्षिण को पश्चिम अन्तरिम अहकाम निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि आगामी तारीख पेसी रूठ रोहि दायिमाल की रकम रु० ३३५ रकबा ०.५०५९ हेक्टेयर (२-०० बीघा) ख० सं. ३६०/५०२ रकबा २.३१४३ (१-०३ बीघा) ख० सं. ३६८ रकबा १.०१६९ हेक्टेयर (३५-१३ बीघा) ख० सं. ५०९/५९२ रकबा १.६११७ हेक्टेयर (५-०० बीघा) ख० सं. ५५५ रकबा १७.६०३८ (६९-१२ बीघा) के भौतिक एवं रिकॉर्ड के पश्चात्पश्चि बनये रहे। इस सम्बन्ध में आपको क्लिफ्ट प्रकाश को उक्त आपत्ति हो तो दिनांक १२/५/१८ को तबसे हुए न्यायालय में उपस्थित होकर प्रम करें। उक्त से वकील अर्चना अपने वर्चस्व पर करते। पश्चात् वार्ड नवकी हुए दिनांक १२/५/१८ को प्रम हो

12/5/18

वकील अर्चना उक्त भूखदान विद्वा हो प्रम व अर्चना पत्र डा. कि. चलाने को कोर्ट उचित नही है पश्चात्पश्चि रूठ रोहि दायिमाल की जाती है पश्चात्पश्चि प्रकाश को उक्त प्रम हो

कुलकर्णी

पुष्पावती

Not Press

उपखण्ड अधिकारी  
बीबासर (दूक)